

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / १५७८ /२०२३

दिनांक : १९.०५.२०२३

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 संपत्ति राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम ११-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक लाल के अधिकतम ३० दिवस के उपर्याप्त अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न तर्जित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपर्याप्त अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है जिसकी प्रविष्टी रामबन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
01.	श्री मदनलाल बालोटिया (RJ0986), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डेगाना (नागौर)।	30	2022 - 2024	19.04.2023

आज्ञा से,

 १९.०५.२०२३
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.वी.र(4)/151/2015/ ३३७४

दिनांक १९.०५.२०२३

प्रतिलिपि निम्न को सूरानार्थ ऐंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
२. जिला एवं सोशन न्यायाधीश, मेड़ता।
३. श्री मदनलाल बालोटिया (RJ0986), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डेगाना (नागौर)।

 १९.०५.२०२३
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
A.O.J